राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक : प. 6(2)साप्र/3/81 जयपुर, दिनांक– 24-02-2011

–: परिपत्र :–

विषय :– वर्दी पहनकर आने बाबत।

प्रायः यह देखा गया है कि राज्य सरकार के स्पष्ट आदेशों/निर्देशों के पश्चात् भी ऐसे कर्मचारी जिनको नियमानुसार वर्दी देय है उनमें से अधिकांश कर्मचारी वर्दी पहनकर कार्यालय में नही आते है।

माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा इसे गम्भीरता से लिया गया है और निर्देश प्रदान किये है कि जो कर्मचारी वर्दी पहनकर नही आते है उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये तथा उनको धुलाई भत्ता भी नही दिया जाये।

अतः इस संबंध में कृपया अपने स्तर पर सुनिश्चित करवाये कि कर्मचारी वर्दी पहनकर ही कार्यालय में उपस्थित हो। अन्य स्थिति में उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही कराई जाये।

कृपया प्राप्ति सूचना भिजवायें।

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।:–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल/मुख्यमंत्री राजस्थान
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
3. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव गण।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर।
5. समस्त विभाग/अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. वित्त आय–व्ययक/वित्त व्यय (ग्रुप–2) विभाग।
7. महालेखाकार, राज0, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधीकरण जयपुर
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
5. पंजीयक, राजस्व मण्डल अजमेर
6. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय
7. पंजीयक, सेल्स टेक्स ट्रिव्युनल, अजमेर।

उप शासन सचिव